

SNOWFOAM ENERGY PRIVATE LIMITED

Ref. No. SEPL/ DFO/ FCA/ 2021-22 (25)

The Divisional Forest Officer,
Kullu Forest Division.
Kullu, Distt. Kullu(H.P.).

Sub:- Diversion of 0.5705 ha.(instead 0.5948ha) of forest land in favour of Snowfoam Energy Pvt. Ltd. House No. 99, Ward No. 8, Dhalpur, Kullu for the construction of Hamshu-I SHEP 2.00 MW within the jurisdiction of Kullu Forest Division, distt. Kullu, H.P.

Sir,

With reference to the minutes of 4th meeting of Regional Empowered Committee of Integrated Regional Office, Shimla Held on 23rd February, 2022 Vide Agenda no. 1 submission of documents/ clarification in above mention subject.

The Point wise reply as under:-

1. All records of consultation and meetings with Gram Sabha (s) and FRA (s) of concerned villages (Enclosures of FRA Certificate) has been attached in this letter.
2. This point is pertaining to your good office please. And we are requested to be submitted/ uploaded in the Portal.
3. The list of proposals (with their respective capacity) on the same rivulet along with map and CD of KML file has been attached in this letter.

You are therefore to kindly send the documents to the concerned Forest Authorities for diversion of Forest Land.

Thanking you

Kullu

Dt-14/03/2022

Yours truly

for: Snowfoam Energies Pvt. Ltd.

Authorised Signator

Form-II
(for projects other than linear projects)
Government of Himachal Pradesh.

Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.

No. 7694 /DRA

Dated:- 28/11/2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1,5461 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of M/s Hamshu-(1) Hydro Pvt. Ltd. for the Construction of Hamshu-(1) Hydel Power Project in Kullu District falls within jurisdiction of G.P. Pichalihar Village(s) in Kullu Tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1,5461 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure F.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A Copy of certificate issued by the Gram Sabha of Pichalihar Villages(s) is enclosed as Annexure C to Annexure F.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.


बिना रीटर्न नवकारी
कल्लु (हि.प्र.)


(Rakesh Kanwar)
District Collector,
COLLEGE Kullu

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER KULLU DISTRICT
KULLU H.P.**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Sh. Rakesh Kanwar, Deputy Commissioner, Kullu on 20-11-2015 at 12:00 AM/PM at Kullu in which the application(s) claiming rights in G.P. Pichalihar forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Kullu Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application :-

Name of Applicant

Decision (Admitted/Rejected)


M/s Hamshu-(1) Hydro Pvt. Ltd.
C/o Hamshu-(1) Hydel Power Project.

Admitted

Place : Kullu
Dated:

**DC-cum Chairman/Chairperson,
District Level Committee,
Kullu District HP.**

Deputy Commissioner
Kullu (H.P.)


विभागाध्यक्ष विकास
कल्लू (हि.प्र.)

(18)

12

39

Annexure-B

OFFICE OF THE SDO (C) KULLU
DISTRICT KULLU(H.P)

Proceeding of the meeting of the Sub Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.


A meeting of the Sub- Division level Committee of Kullu Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/ chairpersonship of Mr./Ms. Rohit Rathore SDO (C) Kullu on 16.11.2015 at Kullu AM/PM at 3.00 PM (Place) in which the application (s) claiming rights in G.P Pichalihar, Const. Small Hydro Project Hamshu-(1) Manjla Ban forest areas under FRA, 2006, of the following application(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application:-

<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Recommended/not recommended)</u>
1. Ms. Hamshu-(1) Hydro Pvt.Ltd. Pichilahar.	
Const.Small Hydro Power Project Pichlihar 1.5461Hect.	Recommended

Place : Kullu

Date: _____


SDO (Civil) Chairman, Chairman,
Sub-Division Level Committee,
Kullu Sub- Division



पिला रामेश्वर अधिकारी
कल्लू (हि.प्र.)

Proceeding of the meeting of Sub Divisional Committee held on 16-11-2015 under the chairmanship of Sh Rohit Rathour, Chairman-cum-S.D.M. Kullu H.P. under S.T. and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2007


A meeting of the Sub-Division level committee of Kullu Sub-Division constituted under FRA, 2007 was held under the chairmanship of Sh Rohit Rathour, SDO(C) Kullu on 16-11-2015 at 03.00 PM at Kullu in which the applications claiming rights in Sub-Division Kullu forest area under FRA,2006, of the following applicants duly processed and recommended by the Forest Right Committees of concerned Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee. These cases were also examined under the light of guidelines issued by Ministry of Environment and Forest Govt. of India vide letter no. 11-9/98-FC(pt.) dated 5th February, 2013.

After scrutiny of the documents and detail discussion, the following decisions were taken on each application:-

<u>Name of the Applicant</u>	<u>Decision</u>
1. The Executive Engineer Kullu Division No.I HPPWD Kullu H.P. Diversion of 4.9867 Hec Forest Land for the construction of link road for village Pahnala to Janahal.	Recommended
2. The Executive Engineer Kullu Division No.I HPPWD Kullu H.P. Diversion of 2.124 Hec Forest Land for the construction of link road for village Balu ra Ghera to Tipri	Recommended
3. The Executive Engineer Kullu Division No.II HPPWD Kullu H.P. Diversion of 4.84-48 Hec Forest Land for the construction of link road for village Bandrol(NH-21) to Kais.	Recommended
4. The Executive Engineer Kullu Division No.I HPPWD Kullu H.P. Diversion of 4.3889 Hec forest Land for the construction of link road for village Dhara to Barshogi Teh & Distt. Kullu H.P.	Recommended


श्री रोहित राथौर
कल्लू (हि प्र.)

- | | |
|--|-------------|
| 5. The Executive Engineer Kullu
Division No.I HPPWD Kullu H.P.
Diversion of 4.9366 Hec forest Land for the construction
of link road for village Pahnala to Lingerbasu Teh & Distt.
Kullu H.P., | Recommended |
| 6. The Executive Engineer Kullu
Division No.I HPPWD Kullu H.P.
Diversion of 0.3385 Hec forest Land for the construction
of link road for village Panarsa (Dalashni Bridge) Teh & Distt.
Kullu H.P. | Recommended |
| 7. The Executive Engineer Kullu
Division No.I HPPWD Kullu H.P.
Diversion of 4.98 Hec forest Land for the construction
of link road from Dohranala to Shillirajgiri (Village Chesta, Kot)
Teh & Distt. Kullu H.P. | Recommended |
| 8. The Executive Engineer Kullu
Division No.I HPPWD Kullu H.P.
Diversion of 0.056 Hec forest Land for the construction
of Doharanala Bridge Teh & Distt. Kullu H.P. | Recommended |
| 9. The Executive Engineer Kullu
Division No.I HPPWD Kullu H.P.
Diversion of 1.8871 Hec forest Land for the construction
of link road for village Dohranala to Dabri Teh & Distt.
Kullu H.P. | Recommended |
| 10. The Executive Engineer Kullu
Division No.I HPSEBL Kullu H.P.
Diversion of 0.12 Hec Forest Land for the construction
33/11 KV Sub-Station at Nagauni(Bhutti) Distt. Kullu H.P. | Recommended |
| 11. The Assistant Executive Engineer Kullu
Electrical Sub Division HPSEBL Katrain Distt. Kullu H.P.
Diversion of 0.26-46 Hec Forest Land in GP Kararsu for
the construction 33/11 KV Sub-Station at Raison Distt Kullu. | Recommended |
| 12. M/s Soil Dasha Hydro Pvt. Ltd.
at Pichaliyar & Duwara Tehsil & Distt Kullu H.P. | Recommended |


 जिला राक्षस प्रविक्ली
 कुलू (हि.)

Diversion of Forest Land measuring (i) 01-83-55.562 Hec at GP Pichalihar and (ii) 1-75-08.12 Hec at GP Duwara for the construction of Small Hydro Project.

13. M/s Hamshu-I Hydro Pvt. Ltd.

Recommended

at Pichalihar Tehsil & Distt Kullu H.P.

Diversion of Forest Land measuring 1.5461 Hec at GP

Pichalihar for the construction of Small Hydro Project.

14. M/s Mahamai Hydro Project Power Pvt Ltd

Recommended

at Barsaini Tehsil and Distt Kullu H.P.

Diversion of 0.8296 Hec forest land for the construction of Small Hydro Project at GP Barsani.

15. M/s Continental Hydro Power Pvt. Ltd.

Recommended

at Barsani Distt Kullu H.P. Diversion of 2.29 Hec. forest land for the construction of Small Hydro Power Project in G.P. Barsani.

16. M/s Jai Jawala Hydro Power Project

Recommended

at Barsani Distt Kullu HP. Diversion of 2.35 Hec. forest land for the construction of Small Hydro Power Project in G.P. Barsani.

Meeting concluded with vote of thanks.

Endst. No. 17 /S.D.K. 1773-76/SAR/01 18/11/15

(Rohit Rathour)
Chairman-cum-S.D.O(C) Kullu
Distt. Kullu H.P.
Dated:

Copies forwarded to :-

1. The Deputy Commissioner Kullu with all aforesaid documents in original for favour of further necessary action, please.
2. All members of committee for information.

(Rohit Rathour)
Chairman-cum-S.D.O(C) Kullu
Distt. Kullu H.P.


पिला रविचन्द्र अधिकारी
मुख्य अधिकारी

वन अधिकार समिति पिछलीहार

विकास खण्ड - नगर जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

उपस्थिति 7/10

अध्यक्षता श्री अमर नन्द

पृष्ठांकन.....

प्रस्ताव संख्या..... 2

दिनांक..... 09/10/2015

विषय :- (Forest Right Committee Hillhar) वन अधिकार समिति पिछलीहार द्वारा मंडला - वन मुद्दाल पराडी से लम्बीन्दु जंगल भूमि में प्रोजेक्ट करि सम्बन्धी अनापत्ति (NOC) के लक्ष्य में प्रस्ताव :-

वे लक्ष्य से (F.R.C) वन अधिकार समिति पिछलीहार की मालिक बैंक में यह लक्ष्य पराडी द्वारा की पंचायत पिछलीहार के क्षेत्र मंडला - वन मुद्दाल पराडी से लम्बीन्दु जंगल भूमि में नं० डाम्बू - (I) द्वारा पंचायत प्रोजेक्ट, विद्युत प्रोजेक्ट सम्बन्धी निर्माण करि आरम्भ करना चाहती है, जिस की उपरोक्त प्रोजेक्ट निर्माण करि आरम्भ के बिना F.R.A अन्तर्गत वन अधिकार समिति से अनापत्ति अर्थात् NOC की मांग की अनिवार्यता देखते हुए व लम्बीन्दु जंगल भूमि द्वारा रखी गई मुख्य मांग पर लक्ष्य पराडी जंगल वन अधिकार समिति पिछलीहार पर लिखित प्रोजेक्ट की अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाया है क्योंकि यह कि प्रोजेक्ट निर्माण करि के दौरान लम्बीन्दु क्षेत्र लगभग 0.5 हेक्टेयर में पौध रोपण किया जाना अनिवार्य है तथा लक्ष्य में पंध की एक एकू व मान्यताधिकार का धनन न हो।

तः F.R.C द्वारा अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाया है।

प्रमाणित किया जाता है कि नक्का सही है।



By Bun सचिव
वन अधिकार समिति पिछलीहार
वि.ख. नगर जिला कुल्लू (हि.प्र.)

TESTED TRUE COPY
AVINASH CHANDRA
NOTARY PUBLIC KULLU

Annexure - D

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम समा.....

कोरम 7/10, 247/425

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 9/10/05

वन अधिकार समिति, ग्राम समा पिछलीहार की बैठक आज दिनांक 9/10/05 को 11:00 बजे, स्थान दरहा (नरी) में श्री/श्रीमति अमर चन्द की अध्यक्षता में की गई जिसमें एम.यू. (I) डा. ए. ए. ए. ए. पराडी गांव/गांवों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पू.बी.एफ., डी.बी.एफ. मुधत पराडी, मंजुल बज्जल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें एम.यू. (I) डा. ए. ए. ए. ए. प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 1.5461 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति अमर चन्द जंगल/वन क्षेत्र में प्रोजेक्ट निर्माण के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इस उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान दरहा (नरी)
दिनांक 9/10/05

अमर चन्द
Secretary
ग्राम, पर्यायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम संघावत Nagpur Kullu (H.P.)

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान वन अधिकार समिति
प्रधान

वन अधिकार समिति पिछलीहार



Bur pur
सचिव वन अधिकार समिति
वन अधिकार समिति पिछलीहार
वि.ख. नगर पिछलीहार (हि.प्र.)

TESTED TRUE COPY

AVINASH CHANDRA
NOTARY PUBLIC NAGPUR KULLU (H.P.)

13

Annexure - E

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत पिछलीधारविकास खण्ड नगर जिला उदुपी (हिप्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्री मती उमर फरदिनांक 09/10/15गणपूर्ति 7/10, 217/425प्रस्ताव संख्या 2विषय: अनापरी प्रभाग (F.R.A) विभाग/संस्था को हथरु (U) धारण प्रो के निर्माण
हेतु में हथरु वन भूमि पर हथरु प्रो के वन जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.5461 हे०

हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत पिछलीधार की बैठक आज दिनांक 9/10/15 को 11:00 बजेस्थान दरत (नरी) में की गई जिसमें हथरु (U) धारण प्रो विभाग/संस्था को प्रोके निर्माण हेतु मुद्दाल परणी (मंजूर वन) जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.5461 हैक्टयर

वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्राम वासियों ने संबन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के लिए उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई तथा प्रस्तावित 1.5461 हैक्टयर वन भूमि को प्रो के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम समा पिछलीधार की सहमति दी जाती है।स्थान दरत (नरी)दिनांक 9/10/15Secretary
Gram Panchayat Pichhli Dhar
(Signature of Secretary)
ग्राम पंचायतNOTARY PUBLIC
AVINASH CHANDRA
NOTARY PUBLIC, NAGRA



मो० :

Annexure - F

कार्यालय एवं न्यायालय ग्राम पंचायत "पिछलीहार"

विकास खण्ड-नगर, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

उपस्थिति

217/425

अध्यक्षता

अध्यक्षता श्री महेन्द्र जयमजी

राम लक्ष्मी

ने पारित

पृष्ठोंकन

प्रस्ताव संख्या

4

दिनांक

02/10/2015

विषय :-

हंमशू-(I) 2 M/W हाइड्रल पॉवर प्रोजेक्ट को अनापति के सन्दर्भ में प्रस्ताव।

ग्राम सभा बैठक में यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ कि ग्राम पंचायत पिछलीहार के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र पराड़ी नाला व तुन्दी नाला जो कि कुछ दूरी पर पराड़ी नाला में ही संयुक्त रूप से मिलता है, जिसमें उक्त लिखित प्रोजेक्ट कम्पनी विद्युत सम्बन्धी 2 M/W पॉवर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आरम्भ करना चाहती है जिस के लिए दस्तावेज औपचारिकताएं हेतु पंचायत क्षेत्र से सम्बन्धित ग्राम सभा में (NOC) अनापति मांग का विषय ग्राम सभा के समक्ष रखा जिसमें गहन विचार विमर्श एवं चर्चा हुई। ग्राम सभा पिछलीहार ने प्रोजेक्ट के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष अपनी मुख्य मांगें रखी व मांगों एवं शर्तों की अनुपालना पर सहमति उपरान्त ही अनापति प्रमाण देने में सहमत है तथा वन अधिकार नियम 2006 के तहत FRA को भी अपनी सहमती प्रदान की है। इसके साथ-2 प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरण दुलाई से सम्बन्धित रोप-वे लगाए जाने तथा विस्फोटक सामग्री प्रयोग व रखने हेतु ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। वशर्त यह कि रख रखाव व उपयोग व्यवस्था पूर्ण हों। ग्राम सभा की मांग एवं शर्तों को मानने का इकरारनामा लिखित रूप में होने पर ही अनापति को ग्राम सभा मान्यता प्रदान करती है।

ग्राम सभा की शर्तें एवं मांगें निम्न प्रकार से हैं:-

1. गांव दराल से खोणी तक पक्का रास्ता
2. नराईडी से हलाणी बेहड़ तक पक्का रास्ता व नाली इत्यादि
3. सवा ईच की पेय जल सप्लाई शुपालू नाग से पराड़ी दराल तक
4. प्रोजेक्ट निर्माण में निकलने वाले मलबे की डम्पिंग साइट की उचित व्यवस्था
5. प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार
6. किसी मानवाधिकार का हनन न हो, व सिंचाई सम्बन्धी चण्डी कुहल में पानी सुचारु रूप से निरन्तर चलता रहे।

ग्राम सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त लिखित शर्तों की यदि अनुपालना नहीं हुई तो ग्राम सभा पिछलीहार प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को बन्द करने का पूर्ण अधिकार रखेगी।

अतः (NOC) अनापति अनापति प्रमाण जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव असल है।

Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block

Richhika
H.P.



ATTESTED TRUE COPY
12/10/15
AVINASH CHANDRA
NOTARY PUBLIC KULLU

वन अधिकार समिति, पिछलीहार F. R. C.

डाकघर फोजल, तहसील व जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

क्रमांक संख्या.....

दिनांक..... 09/10/15

प्रस्ताव संख्या..... 2

उपस्थिति..... 7/10

प्रतिलिपि.....

अध्यक्षता प्रधान/उपप्रधान..... श्री अमर पन्त

विषय:

(Forest Right Committee Pichlihar) वन अधिकार समिति पिछलीहार द्वारा मंडला-वन मुद्याल पराड़ी से सम्बन्धित जंगलात भूमि में प्रोजेक्ट कार्ड सम्बन्धी अनापत्ति (NOC) के लन्दर्भ में प्रस्ताव :-

सब समिति से (F.R.C) वन अधिकार समिति पिछलीहार की मासिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि पंचायत पिछलीहार के क्षेत्र मंडला वन मुद्याल पराड़ी से सम्बन्धित जंगलात भूमि में गैर दाम्बू - (I) हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट विद्युत प्रोजेक्ट सम्बन्धी निर्माण कार्य आरम्भ करना चाहती है जिस की उपरोक्त प्रोजेक्ट को ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण भी प्राप्त है। उपरोक्त प्रोजेक्ट निर्माण कार्य आरम्भ से पूर्व F.R.A अन्तर्गत वन अधिकार समिति से अनापत्ति अर्थात् NOC की मांग की अनिवार्यता देखते हुए व सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा रखी गई मुख्य मांगों पर सहमति जताते हुए वन अधिकार समिति पिछलीहार अर्थात् लिखित प्रोजेक्ट को अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाता है वही यह कि प्रोजेक्ट निर्माण कार्य के दौरान प्रभावित क्षेत्र लगभग 0.5 हेक्टेयर में पौध रोपण किया जाना अनिवार्य है तथा लक्ष्य में भेदों के एक एक व मानवाधिकार का ध्यान न हो। अतः F.R.C द्वारा अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि नक्का प्रस्ताव अस्तित्व में है

प्रधान (अमर पन्त) सचिव
वन अधिकार समिति पिछलीहार
जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

Secretary
Gram Panchayat Pichlihar



मो: 98168-95333, 88945-78203

कार्यालय एवं न्यायालय ग्राम पंचायत "पिछलीहार"

विकास खण्ड नगर, तहसील व जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

उपस्थिति..... 217/425 पृष्ठोंकन.....

अध्यक्षता..... प्रधान श्री कालू राम प्रस्ताव संख्या..... 4

दिनांक..... 02/10/015

विषय :- हामशू-I हाइड्रल पॉवर प्रोजेक्ट की अनापत्ति के लन्दर्भ में प्रस्ताव :-


ग्राम लभू बैंक में यह प्रस्ताव सब सम्मति से पारित हुआ कि ग्राम पंचायत पिछलीहार के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र पराड़ी नाला व तुन्दी नाला जो कि कुछ दूरी पर पराड़ी नाला के ही संपुर्ण रूप से मिलता है जिन में अन्तर्लिखित प्रोजेक्ट कंपनी बिजुत सम्बन्धी 2 मेघावाट पॉवर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आरम्भ करना चाहती है जिन के लिए दस्तावेज औपचारिकताएं हेतु पंचायत क्षेत्र से सम्बन्धित ग्राम लभू में (NOC) अनापत्ति मांग का विषय ग्राम लभू के समक्ष रखा, जिन में ग्राम विचार विमर्श एवं भर्त्ता हुई। ग्राम लभू पिछलीहार ने प्रोजेक्ट के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष अपनी मुख्य मांगें रखी व मांगें एवं शर्तों की अनुपालना पर सहमति उपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण देने में सहमत है। इस के साथ-2 प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरण दुबारा से सम्बन्धित रीप-वे लगाने जाने तथा बिस्फीयक सामग्री प्रयोग व रखने हेतु ग्राम लभू को कोई आपत्ति नहीं है वरन् यह है कि रख-रखाव व उपकरण व्यवस्था पूर्ण हो। ग्राम लभू की मांगें एवं शर्तों को मानने का इच्छा लाम लिखित रूप में होने पर ही अनापत्ति को ग्राम लभू मान्यता प्रदान करती है। ग्राम लभू की शर्तें एवं मांगें निम्न प्रकार हैं :-

1. गाँव दरल ले खोनी पाँदे तक पक्का रास्ता
2. नरांडडी से घलाणी बेड्ड तक पक्का रास्ता
3. निर्माण पक्का रास्ता एवं नली सड़क ले गाँव पराड़ी तक
4. सब से पेय जल सप्लाई शुभालू नाग ले पराड़ी दरल तक
5. प्रोजेक्ट निर्माण कार्य में निष्कलमे कबे मलबे हेतु डीमिंग साइट की अपितु व्यवस्था हो।
6. प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार
7. किसी मानव अधिकार का धनन न हो व नदी-छोटी छड़ी कुदल में पानी निरन्तर सुपाह रूप ले चलता रहे।


ग्राम लभू में यह भी निर्णय लिया गया कि ऊपर लिखित शर्तों को पूरी अनुपालना नहीं हुई तो ग्राम लभू पिछलीहार प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को बन्द करने का पूरा अधिकार रखेगी। अतः (NOC) अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाता है।

Secretary

Google Map of Upstream And Downstream Projects of Hamsahu-1 SHEP (2.00 MW)



NF
ganga

 Springer

3



12/25/2015